मुकेश जाखड़ बनाम पूर्णराम वगैराह
दावा क्रमांक 30/2024

जाकर वाद पत्र को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मुकेश जाखड़ के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा फरड़ोद के खसरा नम्बर 301 रकबा 4.4596 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 5.3499 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से रकबा 3.1404 हैक्टेयर पश्चिमि दिशा की तरफ रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल जाखड़ के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा फरड़ोद के खसरा नम्बर 256 रकबा 5.2690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 2.7357 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 4.7186 हैक्टेयर में से रकबा 1.5782 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ, तथा खसरा नम्बर 2882/903 रकबा 0. 0078 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 2883/903 रकबा 0.3726 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश जाखड़ के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा फरड़ोद के खसरा नम्बर 296 रकबा 1.9344 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 3.0513 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1096 रकबा 2. 5981 हैक्टेयर खसरा नम्बर 326 रकबा 1.8535 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 5 से 7 क्रमशः पूर्णाराम, केलीदेवी, सरिता उर्फ काली, सीता व धन्नीदेवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. नजरीनक्सा निर्णय एंव डिक्री का भाग रहेगा। माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner